फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री पदमसिंह पिता चतरसिंह चुण्डावत, निवासी रान, तह0 देवगढ़ जिला–राजसमन्द

–अपीलार्थी

बनाम

श्रीमती प्रभा कंवर पति श्री योगजित सिंह देवडा, निवासी गलथनी पोस्ट जवाई बाधॅ, तह0 सुमेरपुर जिला पाली

–प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र ट्रांसफर **पत्रावली संख्या 53/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27.01.2020 वकु0पक्ष उप0/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न्यायालय सहायक कलक्टर देवगढ़ के प्रकरण सं0 90/2015 एवं प्रकरण सं0 101/2015 बअनवान प्रभा कंवर बनाम पदमसिंह व अन्य विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर देवगढ़ के समक्ष मेरे द्वारा मेरा पक्ष रखा गया, परन्तु सहायक कलक्टर द्वारा मेरी व मेरे अधिवक्ता की एक नही सुनते हैं और मात्र प्रभा कंवर का ही पक्ष लेते हैं। मेरे अधिवक्ता द्वारा भी न्यायालय के समक्ष मेरा पक्ष रखने का प्रयास किया गया, परन्तु न्यायालय द्वारा उनकी कही हुई बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं। ऐसा लग रहा हैं कि न्यायालय पक्षपात कर एक तरफा प्रभा कंवर के पक्ष में ही निर्णय करने पर आमादा हैं। मेरे द्वारा न्यायालय में दस्तावेज भी पेश किये गये हैं, जिन पर भी न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं। उक्त प्रकरणों में तनकी बनना भी बाकी हैं। उक्त युक्तियुक्त कारण से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, देवगढ़ से मुझे न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही हैं। इस कारण से उक्त दोनों पत्रावलीयां सहायक कलक्टर महोदय, राजसमन्द के न्यायालय में ट्रांसफर करवाई जानी आवश्यक हैं, ताकि निष्पक्ष एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल न्याय हो सके। मैं एक साधारण व गरीब व्यक्ति हूं, मुझे इस न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं दिख रही हैं एवं मुझे लगता हैं कि सहायक कलक्टर महोदय भी निष्पक्ष आदेश नहीं करना चाहते हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दोनो प्रकरणों की पत्रावलीयॉ न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ से न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द में ट्रांसफर कराने का आदेश फरमाया जावें। पक्षकारान को सुना गया/सहायक कलक्टर महोदय, देवगढ़ से उक्त प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए। उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर राजसमन्द के यहॉ पर स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में निवेदन किया है कि वर्ष 2015 से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, देवगढ़ में यह प्रकरण विचाराधीन हैं। विपक्षी जान बुझकर उक्त प्रकरण को लम्बा करना चाहता हैं। इसलिए यह याचिका पेश की है। स्थानान्तरण का कोई आधार उक्त मामले में नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण वर्ष	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

2015 से अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसे स्थानान्तरण हेतु सहायक कलक्टर, राजसमन्द के यहा पर ट्रांसफर कराने बाबत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी उक्त प्रकरण का प्रतिवादी है तथा जानबुझ कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण कराना चाहता है। पत्रावली में अतंरण का ऐसा कोई ठोस आधार तथा दस्तावेज पेश नही किये है जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही हों। केवल पक्षपात कर विपक्षी के पक्ष में निर्णय करने की संभावना के आधार पर पत्रावली अंतरण नही की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ–पत्र भी पेश नही किया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र आधार हीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) को प्रेषित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)